प्रारूप–एक

(नियम 11)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक / /202501201400003 / अ–82 / 2024–25 / भू–अर्जन / 2024–25 कोण्डागांव, दिनांक /12 / 2025

भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	फरसगांव	चांदाबेड़ा	07	0.311 हे0	बड़ेंडोगर–घोटियामुड़ा– चांदाबेड़ा मार्ग के कि.मी. 2/4 चांदाबेडा नाला पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु।
		योग :–01	07	0.311 हे0	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक **19.12.2025** को समय 11.00 बजे स्थान **ग्राम पंचायत भवन –चांदाबेड़ा, तहसील फरसगांव, जिला–कोण्डागांव** पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	बड़ेंडोगर–घोटियामुड़ा– चांदाबेड़ा मार्ग के कि.मी. 2/4 चांदाबेडा नाला पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण में कार्य हेतु।
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	07
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	0.311 हे.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हॉ
आठ	परियोजना का कुल लागत	404.69 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	आसपास के ग्रामीण जनों को उच्चस्तरीय सेतु निर्माण बनने से बारहमासी आवागमन की सुविधा होगी ।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू–अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी ।

(नुपूर राशि पन्ना)
कलेक्टर
जिला–कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग